अनसूची 14–फारम सं0– 462

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–77/2013

अपीलार्थी – सरीता देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1775/प्रो0 दिनांक 31.07.2013 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में मुख्य आरोप यह है कि छातापुर परियोजना के केन्द्र सं0– 13 राय टोला दुर्गा मंदिर के बगल में वहां की महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती पिंकी कुमारी ने दिनांक 28.02.2013 को औचक निरीक्षण किया । निरीक्षण के कम में सेविका 35 बच्चों के साथ केन्द्र पर मौजूद थी , जबकि सहायिका (अपीलार्थी) सरीता देवी निरीक्षण तिथि को केन्द्र से अनुपस्थित थी।

सहायिका (अपीलार्थी) को अनुपस्थिति के संबंध में कार्यालय पत्रांक345/प्रो0 दिनांक 21.03.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। दिनांक 25.03.2013 को निर्धारित तिथि को सहायिका श्रीमती सरीता कुमारी अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुई।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई, जिसमें अपीलार्थी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता /सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई में भाग लिये । अपीलार्थी के

अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षण तिथि को सहायिका भंयकर डाइरिया एवं कै– दस्त हो जाने के कारण केन्द्र पर से अनुपस्थित थी, अपने स्पष्टीकरण में सहायिका ने यह भी बताया कि अत्यधिक कै– दस्त हो जाने के फलस्वरूप मैं, गाँव में ही चिकित्सक से First –Aid चिकित्सा कराई। डाईरिया एवं कै–दस्त अत्यधिक होने के वजह से वे काफी कमजोर हो गई थी, ऐसी हालत में एक गाँव के Quack practioner (अकुशल ग्रामीण चिकित्सक) से ईलाज, मजबुरी में कराया गया ऐसा इसलिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलुआ बाजार में है, जो उसके घर से लगभग 15k.m की दुरी पर है तथा यातायात की भी काफी असुविधा है। गाँव में ही उस ग्रामीण चिकित्सक द्वारा पानी (स्लाईन) वगैरह चढ़ाया गया, और किसी तरह उनकी जान बच पाई। गाँव के ऐसे अकुशल ग्रामीण चिकित्सक किसी तरह का चिकित्सा प्रमाण पत्र मरीज को नहीं देते है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि महिला पर्यवेक्षिका ने अपने स्पष्टीकरण पंजी में उक्त तिथि को सहायिका के अनुपस्थिति के ऐवज में दंड स्वरूप मात्र एक दिन (अनुपस्थिति तिथि) को मानदेय कटौती की अनुशंशा करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया था, किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने उनके अनुशंशा को दर किनार करते हुए इतने कठोर दंड दे दिया वह भी चयनमुक्ति का। उन्होने उल्टे अपीलार्थी के स्पष्टीकरण को भ्रामक एवं अविश्वनीय करार दिया, एवं चयन मुक्ति आदेश पारित कर दिया , जो नैसर्गिक न्याय सिंद्धातों के विपरीत है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया किसी अपीलार्थी के अचानक कै– दस्त,डाईरिया बीमार हो जाने पर अविश्वास व्यक्त करना, एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के अभाव में बहाना करार देना बिल्कुल ही अनुचित है सहायिका को मात्र मानदेय में 1500 सौ रू0 प्रतिमाह मानदेय मिलते है, उसी रूपये में उसे महीने भर अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है एवं महीने भर दवा–दवाइ भी करने पड़ते है। ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन उसके पास एक भी रूपये न हो गाँव में quack चिकित्सक उधार भी दवा एवं ईलाज कर देते है कि किन्तु शहर के चिकित्सक के पास आने पर एक दो घंटे के ईलाज में ही हजारों रूपये खर्च हो जाते है । चूँकि सहायिका ने शीघ्र ग्रामीण quack चिकित्सक से ईलाज कराकर अपनी जान को बचा ली, यह तो बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा ही कहा जा सकता है । ऐसे में बीमारी को अविश्वास के तराजू

पर तौलना अच्छी बात नहीं है हां चयन मुक्ति आदेश देने से पहले इसकी जाँच करा लेनी चाहिए कि वास्तव में सहायिका उस तिथि को बीमारी थी या नहीं ।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि इसके पूर्व अपीलार्थी सहायिका कभी अपने केन्द्र से वगैर सूचना दिये अनुपस्थिति नहीं रही न किसी निरीक्षी पदाधिकारी ने निरीक्षण पंजी में सहायिका के विरूद्ध कोई प्रतिकुल टिप्पणी या किसी लाभुको ने कोई शिकायत आज तक दर्ज नहीं की है स्पष्ट है कि उक्त तिथि को सहायिका परिस्थिति विशेष के कारण केन्द्र से अनुपस्थित थी अतः मानवीय दृष्टिकोण से इसमें निर्णय लेना चाहिए न कि कठोर दंड चयन मुक्ति का देना, बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण आदेश है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि केन्द्र के स्थानीय मुखिया एवं सेविका ने यह प्रमाण पत्र लिखित रूप से दिये है कि सहायिका उक्त तिथि को काफी मैं दस्त, डायरिया के कारण अस्वस्थ थी, जिसका ईलाज गाँव के ही अकुंशल चिकित्सक से कराकर अव ठीक है। इसे भी अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि चयन मुक्ति आदेश पारित करने वाले पदाधिकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने खुद जाँच कर अपने पत्रांक 1881/प्रो0 दिनांक 17.09.2014 द्वारा इस न्यायालय को संसूचित किए है। कि वास्तव में निरीक्षण तिथि 28.02.2013 को सहायिका सरीता देवी काफी कै – दस्त से परेशान थी। एवं अपना ईलाज गाँव में चिकित्सक से ही कराई थी।

इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के पारित आदेश C.W.J.C.No- 317/2014 में स्पष्ट अंकित है कि अगर एक दिन अनाधिकृत रूप से सेविका/सहायिका अपने duty से अनुपस्थित रहती है तो भी punishmant awarded to the petitioner is apparently too harsh and shocking इस आधार पर अपीलार्थी का चयन मुक्ति आदेश त्रुटिपूर्ण है, खंडित करने योग्य है।

अतः यह न्यायालय सम्यक विचारोपरान्त यह निष्कर्ष पर पहुँची कि अपीलार्थी वास्तव में निरीक्षण तिथि को कुछ विशेष परिस्थितिवश ही केन्द्र से अनुपस्थित हुई है, ऐसी शारीरिक परिस्थिति बन गई है कि केन्द्र पर जाकर काम करना मुश्किल था, क्योंकि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तभी वह काम कर सकता है,

	अस्वस्थ व्यक्ति काम क्या करेगा? बीमारी को यर्थाथ (सही) रूप से नहीं देखना, बहाना समझना, एवं भंयकर गलती माना जायेगा। अतः न्यायालय अपीलार्थी सहायिका को महिला पर्यवेक्षिका की अनुशंशा के अवलोकन में मात्र एक दिन मानदेय की कटौती कर आदेश निर्गत तिथि से सहायिका के पद पर चयन को बरकरार रखती है। वाद की समाप्ति की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 21.5.2015 उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा 21.5.2015 उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा	